रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227875
CG-DL-E-26062021-227875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 24, 2021/ आषाढ़ 3, 1943
No. 347] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 2021/ASHADHA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

सा.का.नि. 435(अ).—केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 165(अ), तारीख 10 मार्च, 2021 द्वारा कतिपय प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 10 मार्च, 2021 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में,--

(i) उपनियम (1) के खंड (क) के उपखंड (vi) में,--

(क) पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि यदि एन2 या एन 3 प्रवर्ग के मोटर यान पर अभाज्य भार लादा जाता है तो मोटर यान की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी :";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपनियम (4) और (5) को क्रमश: उसके उपनियम (3) और (4) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा

[फा. सं. आरटी-11036/34/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 (अ), तारीख 14.06.2021 द्वारा किया गया ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

G.S.R. 435(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 was published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number G.S.R 165(E), dated the 10th March, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 10th March, 2021;

And, whereas, no objections and suggestions were received from any person with respect to the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Fourteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 93,-

(i) in sub-rule (1), in clause (A), in sub-clause (VI),-

(a) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided further that in case motor vehicle of category N2 or N3 is engaged to carry indivisible loads, the overall height of the motor vehicle shall not exceed 4.75 meters:";

(b) in the second proviso for the words "Provided further", the word "Provided also" shall be substituted;

(ii) sub-rules (4) and (5) shall respectively, be renumbered as sub-rules (3) and (4) thereof.

[F. No. RT-11036/34/2021-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 410(E) dated 14.06.2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.06.26 16:46:37 +05'30'